



Preamble of the Constitution

(संविधान की प्रस्तावना)


[Join SelectionWay GS Channel](#)
[Join SelectionWay GS Channel](#)

Shubham Gupta Sir

संविधान की प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह (विक्रमी)) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

सामान्य परिचय



प्रस्तावना संविधान की आत्मा, दर्शन और उद्देश्य को बताने वाला प्रारंभिक वक्तव्य है। संविधान का परिचय पत्र है।



कांग्रेस का 1946 का मेरठ अधिवेशन (आचार्य जे. बी. कृपलानी) - संगठित होने और प्रस्तावना की वैचारिक नींव



‘उद्देश्य प्रस्ताव’ — जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946



उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति — 22 जनवरी 1947



प्रस्तावना की संकल्पना — अमेरिका



प्रस्तावना की भाषा — ऑस्ट्रेलिया



फ्रांसीसी क्रांति (1789) — ‘स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व’



रूसी क्रांति (1917) — ‘सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय’



1. अधिकार का स्रोत

भारत के लोग — लोक प्रभुसत्ता



2. राज्य का स्वरूप

संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य



3. संविधान का उद्देश्य

न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व स्थापित करना



4. अंगीकरण की तिथि

26 नवंबर 1949



42वाँ संविधान संशोधन, 1976 (केवल एक संशोधन) — समाजवादी + पंथ-निरपेक्ष + अखंडता

प्रस्तावना के मुख्य शब्द

शक्ति का स्रोत



हम भारत के लोग



लोक संप्रभुता

राज्य का स्वरूप

- संप्रभु
- समाजवादी
- पंथ-निरपेक्ष
- लोकतांत्रिक
- गणराज्य

उद्देश्य

- न्याय (3)
 - सामाजिक
 - आर्थिक
 - राजनीतिक
- समता (2)
 - अवसर
 - प्रतिष्ठा
- स्वतंत्रता (5)
 - विचार
 - अभिव्यक्ति
 - विश्वास
 - धर्म
 - उपासना
- व्यक्ति की गरिमा
- राष्ट्र की एकता व अखंडता
- बंधुता

हम भारत के लोग..

- ❖ संविधान की शक्ति का सर्वोच्च स्रोत - भारत की जनता
- ❖ डा अम्बेडकर - "संविधान का आधार जनता है"
- ❖ आलोचना - वयस्क मताधिकार का अभाव
- ❖ उत्तर - प्रथम आम चुनावों में लगभग समान लोगो का निर्वाचन



संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न

- ❖ भारत में अपने आंतरिक तथा बाहर निर्णय लेने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है।
- ❖ लोकप्रिय संप्रभुता - शासन की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति: जनता में निहित है।
 - हम भारत के लोग
 - वयस्क मताधिकार
 - सरकार का निश्चित कार्यकाल
- ❖ कानूनी संप्रभुता - संविधान

समाजवाद

- ❖ 42 वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा
- ❖ समाजवाद → उत्पादन के साधनों तथा संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि संपूर्ण समाज को प्राप्त हो।
- ❖ भारतीय समाजवाद →
 - साम्यवादी या राज्याश्रित समाजवाद (✗)
 - लोकतांत्रिक समाजवाद (✓) → गांधीवाद व मार्क्सवाद का अनूठा मिश्रण
 - लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) में आस्था रखता है,
 - 1991 की नई आर्थिक नीति (LPG) ने भारत के समाजवादी प्रतिरूप को कुछ लचीला बनाया।
- ❖ डी. एस. नाकारा बनाम भारत संघ (1983)
 - भारतीय समाजवाद का मुख्य उद्देश्य आय, स्थिति और जीवन स्तर की असमानता को समाप्त करना है।
 - समाजवाद के चार स्तंभ → समाज कल्याण, समानता, शोषित कल्याण, वंचित कल्याण
 - "पालने से लेकर श्मशान तक" सामाजिक सुरक्षा
 - गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनूठा संगम

पंथनिरपेक्ष

- ❖ 42 वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा
 - भारत में राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है
 - राज्य सभी धर्मों को समान मानता है और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है
 - अनुच्छेद 25 से 28 → धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- ❖ तत्कालीन विधि मंत्री एच.आर. गोखले — प्रत्येक व्यक्ति को आस्था व उपासना की स्वतंत्रता; राज्य का अपना कोई धर्म नहीं; राज्य सभी धर्मों को समान मानता है, न किसी को समर्थन न विरोध।

लोकतांत्रिक

- ❖ 'Democracy' शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों—'Demos' (जनता) और 'Kratos' (शासन)—से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है "जनता का शासन"।
- ❖ भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिनिधि लोकतंत्र है।
- ❖ भारतीय संविधान ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। इसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए सीधे तौर पर विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है।
- ❖ प्रस्तावना में 'लोकतांत्रिक' शब्द का प्रयोग व्यापक (broad) अर्थ में किया गया है — इसमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र भी सम्मिलित है।
- ❖ डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (25 नवंबर 1949 - अराजकता का व्याकरण) → राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो।
- ❖ त्रयी → स्वतंत्रता, समानता और बंधुता

गणराज्य

- राजशाही (Monarchy) → इस व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर आता है। यह पद पूरी तरह वंशानुगत होता है (जैसे: ब्रिटेन)।
- गणतंत्र (Republic) → जहाँ राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होता है अर्थात् पद वंशानुगत नहीं होता
 - ❖ भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तथा एक नियत समय (5 वर्ष) के लिए पद पर रहते हैं।
- गणतंत्र में दो और बातें निहित हैं —
 - ❖ राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति (जैसे राजा) के बजाय जनता के हाथ में होती है; तथा
 - ❖ किसी भी विशेषाधिकार-प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति — प्रत्येक सार्वजनिक पद बिना भेदभाव सभी नागरिकों के लिए खुला होता है।

स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की त्रयी

ये तीनों सिद्धांत एक-दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं कि किसी एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता।



समानता के बिना स्वतंत्रता
कुछ शक्तिशाली लोगों द्वारा कमजोरों पर वर्चस्व स्थापित करेगी।



स्वतंत्रता के बिना समानता
व्यक्तिगत पहल और रचनात्मकता को खत्म कर देगी।



बंधुत्व के बिना ये दोनों
केवल नियम बनकर रह जाएंगे, जिन्हें लागू करने के लिए पुलिस बल की आवश्यकता होगी।

गांधीवाद	मार्क्सवाद
➤ हथियार के स्थान पर लोकतांत्रिक मार्ग ➤ हिंसा नहीं, हृदय परिवर्तन ➤ ट्रस्टीशिप सिद्धांत ➤ कुटीर व ग्रामोद्योग	➤ वर्ग विहीन समाज का लक्ष्य ➤ संसाधनों का वितरण

न्याय

- ❖ न्याय → समाज में सबके साथ समानतापूर्वक व्यवहार।
- ❖ न्याय का विचार → सोवियत संघ की 1917 की क्रांति (रूसी क्रांति)
- ❖ प्रस्तावना में न्याय तीन रूपों में सम्मिलित है :

न्याय का प्रकार	अर्थ	संबंधित अनुच्छेद
➤ सामाजिक न्याय	❖ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव सबके साथ समान व्यवहार; ❖ अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग व महिलाओं की स्थिति में सुधार।	अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 23, 24
➤ आर्थिक न्याय	❖ आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं; ❖ आय व संपत्ति की असमानता दूर करना; संसाधनों का उचित वितरण। ❖ 'वितरणात्मक न्याय' → 'सामाजिक न्याय' + 'आर्थिक न्याय'	अनुच्छेद 39(b), 39(c)
➤ राजनीतिक न्याय	❖ सभी को समान राजनीतिक अधिकार; ❖ चुनाव लड़ने व मतदान के अधिकार में समानता।	अनुच्छेद 325, 326

स्वतंत्रता

- ❖ स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का 'त्रयी सिद्धांत' (Trinity) → फ्रांस क्रांति (1789)
 - ❖ स्वतंत्रता → किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव, नियंत्रण या अनुचित प्रतिबंधों से मुक्त होना
 - ❖ नकारात्मक स्वतंत्रता → "हस्तक्षेप या प्रतिबंधों का अभाव"
 - राज्य का काम केवल सुरक्षा देना है (नकारात्मक भूमिका)।
 - ❖ सकारात्मक स्वतंत्रता → ऐसी परिस्थितियाँ और अवसर प्रदान करना है, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सही और रचनात्मक विकास कर सके
- प्रस्तावना अथवा मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं, बल्कि सशर्त है—संविधान उन पर 'युक्तियुक्त प्रतिबंध' लगाता है।**

समानता

- ❖ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, तथा बिना भेदभाव हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के प्रावधान।
 - समानता (Equality) → समाज के सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल एक जैसे संसाधन, अवसर और अधिकार देना।
 - समता (Equity) → व्यक्ति की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार उसे संसाधन और अवसर उपलब्ध कराना, ताकि वह भी औरों के बराबर आ सके।
- ❖ प्रस्तावना में समानता के दो आयाम हैं:
 - प्रतिष्ठा की समानता (Equality of Status)
 - अवसर की समानता (Equality of Opportunity)

बंधुता

- ❖ बंधुता का शाब्दिक अर्थ — "सभी नागरिकों के बीच भाईचारे, अपनत्व और एक परिवार होने की भावना।"
- संविधान एकल नागरिकता (single citizenship) की व्यवस्था के माध्यम से भाईचारे को प्रोत्साहित करता है।
- मौलिक कर्तव्य → प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि धार्मिक, भाषायी, क्षेत्रीय व वर्गगत विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द व आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे।
- अस्पृश्यता का अंत (Abolition of Untouchability)
- अल्पसंख्यकों की सुरक्षा
- ❖ डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, "बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समानता केवल एक दिखावा मात्र रह जाएंगे।"

प्रस्तावना से जुड़े वाद

ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)	प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है , यह न्यायालय में प्रवर्तनीय (Non-enforceable) नहीं है और यह शक्ति का स्रोत भी नहीं है।
बेरुबाड़ी संघ मामला (1960)	प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के "मस्तिष्क को खोलने की कुंजी" है। चूंकि यह संविधान का भाग नहीं है, इसलिए संशोधन नहीं हो सकता।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)	प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। 'मूल ढाँचे' के तहत इसके विशिष्ट तत्वों को संसद द्वारा संशोधित करके नष्ट नहीं किया जा सकता।
एस.आर. बोम्मई वाद (1994)	न्यायमूर्ति रामास्वामी द्वारा पुनः स्थापित किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।
श्री रघुनाथराव गणपतराव (1993)	प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही इसके द्वारा विधानमंडल की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
एल.आई.सी. ऑफ इंडिया वाद (1995)	सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में पुनः व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक और अभिन्न हिस्सा है।

विद्वान / विचारक	प्रस्तावना / संविधान के संदर्भ में कथन
1. एन. ए. पालखीवाला	प्रस्तावना संविधान का परिचय-पत्र / Identity Card है।
2. के. एम. मुंशी	प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मकुंडली / Political Horoscope है।
3. पंडित ठाकुर दास भार्गव	प्रस्तावना संविधान की आत्मा , कुंजी और आभूषण है।
4. सर अर्नेस्ट बार्कर	प्रस्तावना संविधान का कुंजी-नोट / Key-note है।
5. अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर	प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दीर्घकालिक स्वप्नों और आदर्शों का विचार प्रस्तुत करती है।
6. सुभाष कश्यप	संविधान यदि शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है।
7. डी. डी. बसु	प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और मूल दर्शन को स्पष्ट करती है।
8. एम. हिदायतुल्लाह	प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, जो उसके आदर्शों को प्रकट करती है।
9. एम. वी. पायली	प्रस्तावना संविधान का सर्वश्रेष्ठ सार / Summary है।
10. डॉ. भीमराव अम्बेडकर	संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, लेकिन गृह समय और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन योग्य भी है।
11. जे. बी. कृपलानी	एक लोक मंगलकारी राज्य के रहस्यात्मक सिद्धांत / Mystic creed of a welfare state है।